

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/2301

दिनांक 19/10/2022

प्रार्थी :-

1.तना पुत्र सायबा, जाति दरौगा  
निवासी ताजाणियों की ढाणी  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. राजाराम 2.खेताराम 3.खुमाणाराम पि.सताराम 4.चान्दाराम 5.सचू  
पि. मेवाराम, जाति भील, निवासी ताजाणियों का तला 6.लेहरी पत्नि  
भारबा, जाति राणा राजपूत, निवासी कापराऊ 7.रेवन्तसिंह  
8.कुलदीपसिंह पि.भगवानसिंह, जाति राजपूत, निवासी चौहटन 9.मीरा  
पत्नि सायबा 10.जाला 11.नारणा 12.गोतम 13.मांगा पि. भीमाराम,  
जाति राणा राजपूत, निवासी कापराऊ 14.कलाराम पुत्र जगूराम,  
जाति भील, निवासी कापराऊ, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 17/2019

दिनांक : 12.10.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कापराऊ के मौजा ताजाणियों का तला के खेत खसरा सं. 400/233 रकबा 12.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2302 to 2305

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी तना
3. विप्रार्थीगण राजाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 19/10/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन